



मुंडा जनजाति में आर्थिक विकास एवं परिवर्तित आजीविका पैटर्न का एक मानवशास्त्रीय अध्ययन :
“खूंटी जिले के तोरपा प्रखण्ड के संदर्भ में”

विकास पुर्ति

शोधार्थी, मानवविज्ञान विभाग, डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय रांची

डॉ एस एम अब्बास

एसोसिएट प्रोफेसर, मानव विज्ञान विभाग, डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय रांची

DOI : <https://doi.org/10.5281/zenodo.18266790>

ARTICLE DETAILS

Research Paper

Accepted: 30-12-2025

Published: 10-01-2026

Keywords:

आजीविका पद्धति, परंपरागत
अर्थव्यवस्था, आर्थिक क्रिया
कलाप, आर्थिक विकास।

ABSTRACT

आर्थिक विकास मनुष्य के विभिन्न पहलुओं पर अपना प्रभाव प्रदर्शित करता है, और यह तथ्य मुख्यधारा के समाज के साथ साथ जनजाति समाज के लिए भी सत्य है। यह शोध पत्र झारखंड के खूंटी जिले में मुंडा जनजाति के आर्थिक विकास एवं उनकी आजीविका की पद्धतियों में बदलाव से संबंधित है। तथ्य के संकलन में विभिन्न मानव शास्त्रीय तकनीकों, अवलोकन, साक्षात्कार, तथा द्वितीयक स्रोतों से तथ्य संग्रहण के उपरांत आंकड़ों के विश्लेषण के पश्चात निष्कर्ष इस बात की पुष्टि करते हैं कि वर्तमान में आर्थिक विकास मुंडा जनजाति में आजीविका के विभिन्न नए मार्ग सुझाए हैं परन्तु साथ ही साथ इसके परंपरागत आजीविका के पद्धतियों में भी परिवर्तन लाए हैं। मुंडा जनजाति तथा उनकी आर्थिक क्रियाएं संक्रमण काल से गुजर रही हैं, जहां उन्हें आधुनिक अर्थव्यवस्था तथा परंपरागत आर्थिक क्रियाकलापों में सामंजस्य स्थापित करने में चुनौतियां प्रस्तुत हो रही है।

परिचय :-

मुण्डा जनजाति झारखण्ड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में निवास करती है। मुण्डा जनजाति झारखण्ड की सबसे महत्वपूर्ण आदिवासी समूहों में से एक है। उनका पारंपरिक जीवन कृषि, वनोपजन संग्रहन, शिकार और मछली पकड़ने तथा उनका जीवन शैली आदिवासी अध्ययन में अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। ऐतिहासिक रूप से मुंडा



जनजातियों को छोटानागपुर का मूल निवासी माना जाता है। 2011 के जनगणना प्रतिवेदन के अनुसार झारखण्ड राज्य में इस जनजाति की कुल जनसंख्या 12,29,221 है।

- एस.सी. रॉय ने उन्हें आदिवासी मामलों का जनक कहा है, उन्होंने अपनी पुस्तक **The mundas and their country** में उनकी पौराणिक कथाओं (सोसोबोंग और सामाजिक व्यवस्था (पाहन, डाली कटारी) का वर्णन कर उनकी सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिपेक्ष्य पर प्रकाश डाला है।
- एच.एच रिजले ने उनका मानवशास्त्रीय अध्ययन कर उनके सामाजिक संरचना को रेखांकित कर उनके कुल 340 गोत्र (0000lans) को परिभाषित किया है।
- रणेन्द्र एवं बालमुकुंद वीरोत्तम : वे इस बात पर जोर देते हैं कि मुण्डा रूप से छोटानागपुर के निवासी नहीं थे वे बाहरी थे तथा असुरों से उन्हें संघर्ष का सामना करना पड़ था, उनकी कृषि आधारित जीवन शैली तथा बिरसा मुण्डा जैसे नायकों द्वारा उनकी सांस्कृतिक पहचान प्रबुद्ध हो पाई है।

अध्ययन क्षेत्र :-

यह क्षेत्र बिरसा मुण्डा के उलगुलान महाविद्रोह का केन्द्र था, जो नागवंशी शासकों के अधीन रहा, तथा कोल विद्रोह (1831-32) का गवाह बना एक कथा के अनुसार मुण्डा राजा मदरा मुण्डा के वंशज सेतिया के पुत्रों ने दक्षिण में खूंटी (खूंटकटी गांव) की स्थापना की तथा एक अन्य मान्यता के अनुसार पाण्डवों के वनवास के दौरान कुंती ने इस स्थान पर समय बिताया था जिससे इसका नाम कुंती के खूंटी पडा इसे 1905 में रांची जिले के एक अनुमंडल (सब डिवीजन) के रूप से संगठित किया गया था जो संयुक्त बिहार का पहला ऐसा अनुमंडल था जहां से अलग राज्य की मांग उठी, इसे 12 सितम्बर 2007 को रांची जिले से अलग पर झारखण्ड का 23वां जिला बनाया गया।

पूर्व अध्ययन का अवलोकन :-

- **Audre Gunder Frank** (निर्भरता सिद्धांत) 1966 मासिक समीक्षा के अनुसार बाजार व्यवस्था एवं औद्योगिकीकरण के द्वारा मुण्डा जनजाति की अर्थव्यवस्था आत्म निर्भर होने की बात कही है।
- **Julian Steward** सांस्कृतिक परिस्थितिकी सिद्धांत (1955) में पर्यावरण और आर्थिक गतिविधियों के संबंध को समझाने का प्रयास किया है।
- **M.S. Swaminathan and Robert chomers (Livelihood Security Frame work, 1990)** आजीविका सुरक्षा मांडल में आय भू-संपत्ति, प्राकृतिक संसाधन और सामाजिक पूंजी की भूमिका को समझाया है।



- एल.पी विद्यार्थी (1956) ने आदिवासियों की **Secred Complex** आवधारण के माध्यम से आर्थिक सांस्कृतिक के संबंध का विश्लेषण किया है।
- सत्यानारायण ओझा (1980) ने मुण्डा जनजाति की पारंपरिक “खुंटकट्टी” भूमि व्यवस्था को आर्थिक आत्म निर्भर का आधार बताया।
- एन.एस. राठ (1990) के अनुसार आधुनिकता और विकास योजनाओं ने आदिवासी अर्थव्यवस्था में मिश्रित प्रभाव डाला।
- Xaxa (2005) के अनुसार औद्योगीकरण और खनन परियोजनाओं ने आजीविका को सबसे अधिक प्रभावित किया।
- **Government of India (2011-2021) Census** रिपोर्ट में मुण्डा जनसंख्या की कृषि निर्भरता में निरंतर गिरावट दर्ज की गई है।

अध्ययन का उद्देश्य :-

1. मुण्डा जनजाति के पारंपरिक आजीविका पैटर्न का विश्लेषण करना।
2. वर्तमान में परिवर्तित आजीविका पैटर्न एवं जीवन स्तर का प्रवृत्तियों की पहचान करना।

शोध प्रविधि :-

शोध कार्य के लिए खूंटी जिले के तोरपा, तपकरा एवं कस्मर गांव के मुण्डा जनजाति में गहन क्षेत्र कार्य के माध्यम से प्राथमिक आंकड़े एकत्रित की गई है प्राथमिक आंकड़ों के एकत्रण हेतु मानवशास्त्रीय तकनीक (अवलोकन, साक्षात्कार, प्रश्नावली, इतिहास, अनसूचि तथा छायाचित्र का सहारा लिया गया है। साथ ही साथ मुण्डा जनजाति के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एवं पारंपरिक सांस्कृतिक पक्षों का अध्ययन हेतु पस्तकालय कार्य द्वारा द्वितीय आंकड़े का भी सहारा लिया गया है।

अध्ययन क्षेत्र का चुनाव :-

अध्ययन क्षेत्र – तोरपा, तपकरा, कस्मर
राजस्व गांव – तोरपा, तपकरा, कस्मर
प्रखण्ड – तोरपा
डाकघर – तोरपा
थाना – तोरपा
ग्राम पंचायत – तोरपा
जिला – खूंटी



राज्य – झारखण्ड

पिन कोड – 835227

अध्ययन की इकाई –

जनजाति – मुण्डा

परिवारों की संख्या– 150

कुल स्त्रीयों की संख्या – 320

कुल पुरुषों की संख्या– 280

सूचनादाताओं का चयन :-

सूचनादाताओं के चयन के लिए रैण्डम परपोसिव तथा स्ट्रेटीफायड सैम्पलिंग को चयनित किया गया है।

तथ्य संकलन के तकनिक :-

प्राथमिक स्रोत

इस अध्ययन हेतु निम्नलिखित तकनिकों से तथ्य संकलित किए गए हैं।

अवलोकन

साक्षात्कार

अनुसूचित

प्रश्नावली

छायाचित्र

द्वितीय स्रोत

समाचार पत्र पत्रिका पुस्तक

डायरी

इन्टरनेट

पारंपरिक आजीविका पैटर्न

कृषि आधारित आजीविका

मुण्डा जनजाति का प्रमुख पेशा कृषि रही है, जिस कारण इन्हें कृषण जनजाति भी कहा जाता है। इन्होंने अपनी कृषि योग्य भूमि को दो वर्गों में बांट रखा है, दोन भूमि तथा टांड भूमि में इनके पास अच्छी खासी कृषि योग्य भूमि होती है ये लोग इस भूमि को खूंटकटटी भूमि भी कहते हैं।

खूंटकटटी व्यवस्था मुण्डा जनजाति की पांपरिक सामुदायिक भूमि स्वामित्व और स्वशासन व्यवस्था है जिसमें खेती और गांवों पर व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामुदायिक एवं पंशानुगत अधिकार माने जाते हैं तथा यह उनके



सामाजिक, धार्मिक तथा राजनीतिक व्यवस्था को भी नियंत्रित करता है। जंगलों को काटकर उन्होंने खेत एवं ग्राम को बसाया है इसलिए इसे खूंटकही कहा जाता है।

धान (दोन भूमि) – मुख्य भोजन और आय स्रोत टांड भूमि में मडुआ, बाजरा, कोदो, कुरथी अरहर, तीसी की खेती करते हैं। जो सूखा मौसम में उपयुक्त होता है तथा पशु के आहार के लिए भी।

ये लोग कांदा (Sweet potatoes) एवं हरी सब्जियों को अपने इस्तेमाल के लिए ही उगाते हैं उस क्षेत्र के गैर-आदिवासियों द्वारा ही बड़ी मात्रा में सब्जियों की खेती की जाती है।

इस क्षेत्र में वे अपनी कृषि के लिए आज भी अपनी पारंपरिक उपकरण एवं पशुओं पर ही अधिक निर्भर होते हैं एवं कृषि कर्म के पहले या फसल की कटाई से पहले वे पाहन एवं ओझा से बलि (मुर्गी, अण्डा पशु इत्यादि) एवं हड़िया को अपने देवी देवता को अर्पित करते हैं।

तपकरा के गाँव में जहां कुछ लोगों द्वारा जंगल साफ कर वहां खेती की जा रही थी तो उस गाँव के समुदाय के रूप में घोषित कर उसमें मडुआ की खेती कि जाती है।

वन संसाधन आधारित आजीविका :-

ये लोग अपने पास के वनों से वन उपजों कंद, मूल, फूल पति साग इत्यादि का संकलन करते हैं।

- तेंदूवता तथा सखोआ पता से वे पतल दोना का निर्माण कर शहरी क्षेत्र में बेचते हैं।
- लाह उत्पादन इस क्षेत्रों में लाह की खेती या उत्पादन बड़ी मात्रा में होती है वनों में एक बार लाह डाल देने से उनका फसल बहुत ही अच्छी मात्रा में होता है तथा उसके विक्रय के लिए उन्हें किसी बाजार व्यवस्था की जरूरत नहीं होती बिचौलिये उनके पास आ कर उसे खरीद लेते हैं हांलोकि वे उनका कम कीमत देते हैं पर वे उनके संतुष्ट रहते हैं।
- महुआ के द्वारा उन्हें उनकी आय का 25 प्रतिशत प्राप्त हो जाता है मुण्डा लोग उसे यह तो फल को ही बेच देते हैं या फिर उसका शराब बना कर, दोनों ही रूपों में उन्हें अच्छे अच्छी आमदनी प्राप्त हो जाती है।
- लकड़ी – लकड़ी को जानलावन के लिए बेचना उनका नियमित आय का स्रोत है। वे अपने आस पास के बजारों में उन्हें बेचते हैं।
- शहद, तसर (रेशम) रूगडा, एवं खुखडी इत्यादि वन उपजों को वे कम भाव ने उपयोग में लेते हैं एक तो इनकी उपलब्धता तय दूसरा तकनीक अभाव।



पशुपालन, शिकार एवं मछली पकडना :-

पशुपालन शिकार एवं मछली पकडना उनके जीविका का साधन तो रहा है पर वे उसे अपनी आजीविका का साधन के रूप में पूर्ण रूप से विकसित नहीं कर पाये हैं। पशुपालन वे अपने कृषि कर्म एवं पर्व त्योहारों, शादी, समुदायिक सम्मेलन में तथा अपने उपयोग करने के लिए करते हैं जिसमें गाय, बैल भैंस, बकरा-बकरी, भेड़, मुर्गा-मुर्गी, बतख इत्यादि हैं। तथा जंगलों से वे खरगोश, हरिन, पंडुक, बगुला, तीतीर बटेर, को फंसा कर खाते हैं। वे लोग आस पास के नदी नाले तालाब गडडे या खेतों से मछली, घोंसा केकडा, कछुआ पकड कर उन्हें भी खाते हैं।

सामुदायिक श्रम :- Dharna, Marang Buru)

इस जनजातियों में पारंपरिक रूप से सामुदायिक श्रम देखने को मिलता है उनमें पुरुषों, महिलाओं एवं बच्चों को उनके अनुसार श्रम विभाजन किया जाता है। वे लोग के बीच मिल जुलकर कृषि कर्म, घर निर्माण में सामूहिक श्रम परंपरा चली आ रही है।

सांख्यिकीय विश्लेषण एवं परिणाम

बदलती आजीविका पैटर्न एवं जीवन स्तर

मुण्डा जनजाति के आजीविका पैटर्न में बीते दशकों में गंभीर बदलाव आए हैं, यह बदलाव मुख्यतः आर्थिक विकास, शिक्षा, बाजार अर्थव्यवस्था और औद्योगिकीकरण के कारण हुआ है पारंपरिक कृषि और वन आधारित आजीविका अब धीरे-धीरे आधुनिक स्वरोजगार शहरी रोजगार और सरकारी योजनाओं के माध्यम से बदल रही है।

कृषि – पैटर्न में बदलाव

आधुनिक काल में इस क्षेत्र में परंपरागत विविध फसल प्रणाली की जगह नकदी फसलों (गन्ना जूट और फल-सब्जियां) हाई-यील्ड धान किस्मों और रासायनिक उर्वरकों ने लेनी शुरू कर दी हैं इससे शुरुआती दौर में उत्पादन और नकद आय बढ़ी, परन्तु लागत, ऋण निर्भरता और पर्यावरणीय क्षरण (मिट्टी की उर्वरता, जल संकट) जैसे नए संकट भी सामने आए तथा सिंचाई सुविधाओं, मशीनों (ट्रेक्टर, पावर टिलर, मोटर) और हाइब्रिड बीजों के प्रयोग के साथ छोटे किसान मजदूरी या प्रवासन की ओर अधिक उन्मुख हो रहे हैं क्योंकि ये लोग बढ़ी हुई लागत और बाजार के जोखिम को सहन करने की क्षमता नहीं रख पा रहे हैं।

उन्नत बीज, कीटनाशक और सिंचाई की सुविधा से उत्पादन बढ़ा किन्तु वह सिर्फ सीमित लोगों के द्वारा ही हो पा रहा है।



मल्टीक्रॉप प्रणाली और वर्षा पर आधारित खेती में तकनीकी हस्तक्षेप के कारण भूमि क्षरण एवं भूमि उर्वरता में नियमित गिरावट आ रहा है।

मशीनरी का सीमित उपयोग, लोग अभी भी हाथ और पशु शक्ति पर आधारित खेती की संख्या अधिक होने से समुदाय में समानता ने बढी खाई बना रखी है।

सांख्यिकीय उदाहरण :-

कस्मर गांव में सर्वेक्षण अनुसार 40 प्रतिशत परिवार अब उन्नत बीज और कृषि उपकरण का प्रयोग कर रहे हैं तथा इन परिवारों में औसत फसल उत्पन्न 30 प्रतिशत तक बढ़ा है।

वनोपज आधारित आजीविका में परिवर्तन :-

आरक्षित वनों, वानिकी – नीतियां और व्यावसायिक दोहन से जंगली खाद्य, लकड़ी और वन उत्पादों की उपलब्धता घटने लगी है, जिससे मुण्डा समुदाय की पारंपरिक संग्रहण-आधारित आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। इस इलाकों में जंगलों के कटाव और निजी/राज्य नियंत्रण बढ़ने से समुदाय के पारंपरिक प्रवेश अधिकार सीमित हुए, जिससे महिलाएं और गरीब परिवार सबसे अधिक प्रभावित हुए, क्योंकि उनका दैनिक भोजन और ईंधन इन्हीं संसाधनों पर निर्भर था वनाधिकार मान्यता अधिनियम जैसी नीतियां कुछ क्षेत्रों में मददगार रही है, परन्तु इनके क्रियान्वयन में असमानता और देरी के कारण सामुदायिक नियंत्रण और आजीविका सुरक्षा पूरी तरह पुनर्स्थापित नहीं हो पाई है।

- घरेलू हस्तशिल्प (दोना, पतल एवं झाड़ू) लकड़ी और वन उत्पादों का बिक्री जैसे कार्यों में लोगों की भागीदारी बढ़ी है परन्तु इनके यातायात क्रय एवं बाजार अनियमितता के कारण उत्पादन का व्यय अधिक हो जाने से उनके लाभ में निरंतर कमी देखी जा रही है।
- महुआ एवं उससे शराब जैसे उत्पादों का स्थानीय विपणन के कारण इस क्षेत्रों में बिचौलीयों का बोल बाला है उनसे वे कम बाजार भाव में खरीद कर अधिक लाभ अर्जित करते हैं तथा शराब जैसे उत्पादों से उन्हें मुनाफा तो हो रहा है किन्तु सामाजिक विकास में सबसे अधिक अवरोध उत्पन्न कर रहा है।
- महिला समूहों के द्वारा इस क्षेत्र में उत्तम परिणाम देखने को मिला है सिलाई, बुनाई तथा लघु उद्योग ने इस क्षेत्र में उन्हें सशक्त कर कई ग्राम स्वयं सेही संस्थान का निर्माण कर वे महाजन एवं दिक्कतों के जाल में फंसे से अपने परिवारों को बचा रही है।

वनोपज पर आधारित का प्रकार परिवार (%) आय में योगदान (%)



क्षेत्र	परिवार (%)	आय (%)
हस्तशिप	35%	15%
महुआ	40%	20%
कृषि	65%	15%

शहरी प्रवासन और मजदूरी आधारित रोजगार –

भूमि- संकुचन, कृषि-अनिश्चितता और गरीबी के कारण काफी संख्यया में मुण्डा युवाओं और परिवारों ने अस्थायी तथा स्थायी प्रवासन की राह पकडी हैं इनमें से कई लोग निर्माण कार्य, ईट-भट्टा, चाय-बगान, उद्योगों घरेलू कामो, सुरक्षा गार्ड (पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, दिल्ली केरल) आदि रूपों में असंगठित मजदूर के रूप में काम करते है, जहां मजदूरी कम और सुरक्षा-व्यवस्था कमजोर होती है।

रोजगार क्षेत्र प्रवासी श्रमिक (%) औसत आय रुपये/माह

मजदूरी – 40% 8000-12000

निर्माण – 35% 10000-1400

सेवा क्षेत्र – 25% 7000-9000

शिक्षा, कौशल, नई आजीविका संभावनाएं और सरकारी नौकरी :-

शिक्षा का प्रसार और सरकारी/गैर सरकारी संगठनों की पहल से मुण्डा जनजातियों में स्कूल कॉलेज जाने, व्यावसायिक प्रशिक्षण लेने और सरकारी-निजी नौकरियां की इच्छा बढी है। हांलाकि, ड्रॉप, आउट भाषा संबंधी, नशा, बाल-विवाह, जैसे बाधाएं, उनके उच्च शिक्षा में अवरोध का सबसे बडा कारण है तथा सामाजिक भेदभाव के कारण भी उच्च शिक्षा और स्थायी नौकरी तक पहुंच अभी भी सीमित है। इन सभी के बाबजूद पंचायत, शिक्षक स्वास्थ्य कार्यकर्ता और अन्य सरकारी रोजगार में भी मुंडा समाज के लोग कार्यरत है जिस कारण सरकारी योजनाओं के माध्यम (शिक्षा नीति एवं आरक्षण) से उनके आय और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित हो पा रही है। इस क्षेत्र ने 12% लोगों की सरकारी नौकरी प्राप्त है।

**आजीविका पैटर्न में परिवर्तन का समाजिक प्रभाव :-**

मुंडा जनजाति में आर्थिक विकास ने सिर्फ आजीविका पैटर्न को ही नहीं बदल रहा, बल्कि सामाजिक सांस्कृतिक संरचना, परिवार, व्यवस्था, लिंग भूमिका और समुदाय के आपसी संबंधों पर भी गहरा प्रभाव डाल रहा है। इसका सबसे अधिक प्रभाव आधुनिकीकरण का पडा है।

आवास और स्वच्छता

- अधिकांश परिवारों ने कच्चे घरों से ईट/सीमेंट के घरों की ओर कदम बढ़ाया
- शौचालय और पानी की सुविधा में सुधार
- सरकारी आवासीय योजनाओं और स्वयं सहायता समूहों (5HGS) का योगदान।
- पोषण और स्वास्थ्य
- आय में वृद्धि के कारण परिवार पोषण में सुधार।
- सरकारी और NGO स्वास्थ्य कार्यक्रमों का प्रभाव।
- महिला शिक्षा और आर्थिक भागीदारी ने बच्चों के पोषण स्तर में सुधार किया।
- शोध अध्ययन में 70% परिवारों ने परिवार में संतुलित आहार की उपलब्धता में वृद्धि की जानकारी दी है।

सामाजिक संरचना, सांस्कृतिक संरक्षण एवं ह्रास

परिवारिक संरचना में बदलाव देखने को मिल रहा है पहले संयुक्त परिवार अधिक थे अब न्यूक्लियर परिवार बढ़ रहे हैं आजीविका पैटर्न और शहरी रोजगार ने परिवार की भूमिका बदल दी है तथा महिला स्वरोजगार और शिक्षा में वृद्धि हुई जिस कारण पुरुषों और महिलाओं के बीच पारंपारिक कार्य वितरण धीरे-धीरे बदल रहा है। साथ ही साथ आर्थिक विकास ने खूंटकट्टी और पंचायत प्रणाली को प्रभावित किया है सामाजिक एवं पारिवारिक नियंत्रण अधिक व्यक्तिगत स्तर पर होने लगे हैं।

लिंग	पारंपरिक कार्य (%)	आधुनिक कार्य (%)
पुरुष	70%	50%
महिला	80%	60%

पारंपरिक उत्सव और त्योहार अब कम समय में मनाए जाते हैं आधुनिक जीवनशैली और शहरी रोजगार के कारण सामूहिक गतिविधियां घट रही हैं जिस कारण उनके मुण्डा भाषा (मुण्डारी) और लोकगीतों में लोगों की रुची कम देखने को मिल रहा है फलस्वरूप हस्तशिल्प, नृत्य और पारंपरिक संगीत अब सिर्फ परिवारों तक ही सीमित होती जा रही है जिससे पारंपरिक ज्ञान का ह्रास एवं वन आधारित आजीविका तथा कृषि परंपरा में निरंतर कमी आ रही है।



शिक्षा, सामाजिक जागरूकता एवं विपणन

शिक्षा ने सामाजिक जागरूकता और नागरिक भागीदारी बढ़ाई है जिससे सरकारी योजनाओं, स्वास्थ्य और जीवन स्तर बेहतर हो पाया है साथ ही साथ खास कर युवा वर्ग में सामाजिक और राजनीतिक भागीदारी ने समुदाय को एक अलग पहचान दिलाने का प्रयासरत है। वे लोग अब मोबाइल और इंटरनेट के माध्यम से बाजार और मूल्य की जानकारी प्राप्त कर अपने लिए व्यवस्थित बाजार मूल्य का निर्धारण कर रहे हैं सरकारी जागरूकता अभियानों में भाग लेकर हस्तशिल्प शहद, महुआ उत्पादन की बिक्री बढ़ाने में सरकार की योजनाओं में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं जिसके फलस्वरूप वे लोग खास कर महिलाएं एवं युवा समूह लघु उद्योग और सामूहिक व्यवसाय के द्वारा अपनी आजीविका को और भी प्रगढ़ कर रहे हैं।

सांख्यिकीय विश्लेषण और निष्कर्ष

इस अध्याय में मुण्डा जनजाति के आजीविका पैटर्न, शिक्षा, लिंग भूमिका और आय स्रोतों के संबंध में सांख्यिकीय डेटा प्रस्तुत किया गया है डेटा का उद्देश्य पांपररिकता और आधुनिक आजीविका पैटर्न का विश्लेषण करना और आर्थिक विकास के प्रभावों को स्पष्ट करना है।

आय स्रोत का वितरण

इस शोध में 150 परिवार को शामिल किया गया है आय के स्रोतों को चार मुख्य भागों में विभक्त किया गया है कृषि, वनोपजन रोजगार (शहरी और सरकारी) अन्य रोजगार में।

आय स्रोत परिवारों का प्रतिशत (%) औसत वार्षिक आय (रूपये)

कृषि	40%	35,000
वनोपज	25%	20,000
रोजगार	20%	50,000
अन्य	15%	15,000

कृषि और वनोपज पर अभी भी आकाश परिवार निर्भर है किन्तु इस समाज की परिवारों की औसत आय में वृद्धि शहरी रोजगार एवं सरकारी रोजगार ने की है साथ ही साथ स्वरोजगार और अन्य गतिवधियों तो सीमित तो है ही किन्तु महिलाओ तथा युवा वर्ग के द्वारा इनका अच्छे इस्तेमाल किया जा रहा है।



लिंग आधारित कार्य भागीदारी (Gender -Based Work Participation)

सर्वेक्षण में पुरुष और महिलाओं की पारंपरिक और आधुनिक आजीविका में भागीदारी का तुलनात्मक विश्लेषा किया गया।

लिंग पारंपरिक आजीविका में भागीदारी (%) आधुनिक स्वरोजगार में भागीदारी (5)

पुरुष	70%	50%
महिला	80%	60%

महिलाओं भी भागीदारी पारंपरिक और आधुनिक दोनों क्षेत्रों में अधिक है पुरुषों की भागीदारी रोजगार एवं परिवार की जिम्मेदारी के कारण उन्हें अपने परिवार की अच्छी देख भाल करने की वजह से उनमें आधुनिक रोजगार की ओर रुझान अधिक पाया गया है महिलाओं द्वारा अपने परिवार एवं बच्चों की देखभाल करने हेतु वे अधिक संख्या पर गांव से जुड़े रहते हैं।

शिक्षा और आजीविका (Education and Livelihood)

शिक्षा स्तर और आजीविका पैटर्न के बीच संबंध का विश्लेषण किया है।

शिक्षा स्तर स्वरोजगार/आधुनिक रोजगार में भागीदारी (%)

अनपढ़ 10%

प्राथमिक 25%

माध्यमिक 40%

उच्चतर 60%

शिक्षा स्तर के बढ़ने से आधुनिक रोजगार और स्वरोजगार में भागीदारी बढ़ी है परन्तु कम शिक्षित व्यक्तियां मजदूरी एवं निर्माण कार्य तक ही सीमित रह पा रहे हैं तथा उच्च शिक्षा ने युवाओं को शहरी रोजगार और सरकारी नौकरी की ओर प्रेरित किया है।

पारंपरिक और आधुनिक आजीविका का तुलनात्मक विश्लेषण (Comparison of Traditional and Modern Livelihood)



पैटर्न	परिवारों का प्रतिशत (%)	औसत आय (रूपये)	सामाजिक-सांस्कृतिक प्रभाव
पारंपरिक (कृषि+वनोजन)	65%	30,000	सांस्कृतिक संरचना मजबूत, पर आय कम
आधुनिक (शहरी रोजगार + स्वरोजगार)	35%	50,000	आय उच्च, सांस्कृतिक गतिविधियों में कमी

निष्कर्ष :-

मुण्डा जनजाति पर किए गए इस मानवशास्त्रीय अध्ययन ने यह स्पष्ट किया कि आर्थिक निकास और आधुनिकरण ने उनकी पारंपरिक आजीविका, सामाजिक-सांस्कृतिक संरचना और जीवन स्तर पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। समग्र रूप से देखा कजाए तो मुण्डा जनजाति के लोग की आजीविका पैटर्न धीरे-धीरे बदल कर विविधतापूर्ण हो चुकी है फिर भी मुण्डा जनजाति की कृषि वनोपज संग्रह, शिकार, हस्तशिल्प मछली पकडना अब भी समुदाय के लिए महत्वपूर्ण है उनका पारंपरिक आजीविका न केवल आर्थिक आधार है बल्कि सामाजिक सांस्कृतिक संगठन और उत्सवों से जुडी हुई है जिसमें महिलाओं की भागीदारी पारंपरिक आजीविका में उच्च रही है विशेषकर वनोपज और घरेलू कृषि में भी परन्तु इसका दुसरा पहलु शहरी रोजगार, स्वरोजगार, सरकारी नौकरी और लघु उद्योग ने पारंपरिक आजीविका को एक नया विकल्प प्रदान किया है शिक्षा ने युवाओं और महिलाओं को आधुनिक आजीविका में शामिल होने के लिए प्रेरित किया फलस्वरूप आधुनिक रोजगार से आय में वृद्धि के साथ आवास, पोषण स्वास्थ्य और बच्चों की लाल पालन एवं शिक्षा में सुधार किया है। आर्थिक विकास ने आधुनिक अवसर प्रदान किए है लेकिन पारंपरिक ज्ञान और सांस्कृतिक गतिविधियों के संरक्षण में चुनौतियां खडी कर दी है।

पारंपरिक आजीविका साधन जैसे कृषि कार्य, वनोपज का संग्रह शिकार एवं हस्तशिल्प कार्यों में निरंतर कमी आ रही है जिससे सांस्कृतिक गतिविधियों परिवार संरचना, सामूहिक निर्माण प्रणाली एवं पारंपरिक ज्ञान का ह्रास हो रहा है। आर्थिक विकास ने खंटकट्टी और पंचाचत प्रणाली को प्रमाणित किया हैं जिस कारण उनके अस्तित्व में संकट बना हुआ है इसलिए आर्थिक विकास और सांस्कृतिक संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित करना अति आवश्यक है तथा नीति और कार्यक्रम पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक अवसरों के बीच कजुल का काम करें, जिससे मुण्डा समाज का समग्र विकास हो सके।



संदर्भ सूची

- Singh, K. (2015). Tribal Livelihood in Jharkhand: Patterns and Changex. Sage Publications.
- Tiwari, R. (2018). Economic Trunition among Indian Tribes. Ranchi: Manav Vikas Prakashan.
- Banerjee, S. (2016). Tribal Economy and Modernization. Kolkata: Academic Press.
- Kumar, A. (2019). Anthropology of Livelihood Changer. Delhi: Rawat Publications.
- Kujur, J. (2017). Economic transition among tribal communities of Jharkhand.
- Kerketta, A. (2020). Youth migration and livelihood changes in Munda villages.
- Vidyarthi, L. P. (1956). The Sacred Complex in India.
- Xaxa, V. (2005). Tribes and Economic Change in India.
- Rath, N. S. (1990). Tribal Economy in Transition.
- Ojha, S. (1980). Land Tenure System of Munda Tribe.
- Roy, S. C. (1912). The Mundas and their country. Kegan Paul, Trench, Trübner & Co.